(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03/2017

बउनवान

सुरेन्द्र कुशवाह उर्फ सुन्दरलाल पुत्र रामकल्याण काछी निवासी कुन्डी तह. अटरू जिला बाराँ

(प्रार्थी)

बनाम

गोपाल पुत्र चतुर्भुज जाति कोली निवासी कुन्डी तहसील अटरू जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

उपस्थितिः 1. श्री रमेशचन्द गोयल अभिभाषक (प्रार्थी)
2. अनुपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 22.03.2021

प्रार्थी द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी गोपाल पुत्र चतुर्भुज जाति कोली के नाम ग्राम कुण्डी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 1107 रकबा 17 बिस्वा का आवंटन दिनांक 23.06.1981 को किया गया है। जिसका वर्तमान खसरा नं0 1755 रकबा 0.18 हैक्टेयर है। जिससे अप्रसन्न होकर आवंटन आदेश निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 09.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश तलब किया गया, जो अप्राप्त है। अप्रार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रकरण में पत्रावली में संलग्न आवंटन आदेश की सत्य प्रतिलिपि को हीं आधार मानकर प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय विस्तृत एवं अंतिम बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम कुण्डी तह. अटरू में पुराना खसरा नं0 1107 रकबा 17 बिस्वा भूमि थी। इस भूमि का आवंटन दिनांक 23.06.1981 को गोपाल पुत्र चतुर्भुज जाति कोली निवासी कुन्डी को हुआ जिसका वर्तमान खसरा नं0 1755 रकबा 0.18 हैक्टेयर है। भूमि आवंटन के समय प्रार्थी के पिता श्री रामकल्याण का उक्त भूमि पर कब्जा था। पिता के कब्जे से पहले प्रार्थी के दादा जयकिशन का कब्जा था। 15 साल पूर्व पिता का स्वर्गवास होने के कारण प्रार्थी ही [illegible] को काश्त करता है। इस भूमि पर प्रार्थी, उसके पिता व दादाजी का लगभग 50 वर्ष से निरन्तर कब्जा काश्त है। रेस्पो0 ने प्रार्थी के विरूद्ध तहसील अटरू में झूठे तथ्य [illegible] कर गोपाल [illegible] नाम सुन्दरलाल धारा 183 बी राज0 टेनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उक्त आवंटन भूमि प्रार्थी के पिता के कब्जे काश्त में थी जो खाली भूमि नहीं थी। इसलिये आवंटन योग्य नहीं है। अतः कार्यवाही पेश कर निवेदन है कि आवंटन दिनांक 23.06.1981 ग्राम कुन्डी की भूमि खसरा नं0 1107 रकबा 17 बिस्वा को निरस्त करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:26:28 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक की अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी गोपाल पुत्र चतुर्भुज कोली निवासी कुण्डी तहसील अटरू को दिनांक 23.06.1981 को ग्राम कुण्डी के खसरा नं0 1107 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नं0 1166 की रकबा 2 बीघा कुल 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई है। जिस पर आवंटी को दखल दिया जाकर, गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त भूमि को आवंटन हुए लगभग 40 वर्ष हो चुके है जिससे आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके होंगे। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य तहसील अटरू में राज0 टेनेन्सी एक्ट के तहत धारा 183 बी का वाद गोपाल बनाम सुन्दरलाल के नाम से विचाराधीन है। प्रकरण में ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के गैर खातेदारी अधिकारों के साथ यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी गोपाल पुत्र चतुर्भुज जाति कोली ग्राम कुन्डी तहसील अटरू जिला बारां को किया गया आवंटन आदेश दि. 23.06.1981 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थी असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:26:28 IST
Reason: SelfAttested